भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता0 .... से ....तक

केस का प्रकार TA Misc. Case No. 73/2018–19

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
13.7.18	आवेदक **शैलेश्वर बान्दिया**, पिता **स्व0 सुखलाल बान्दिया**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**उड़न चौका** थाना–**सोनुआ**, जिला प0 सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा–**मसुरीकुदर** थाना नं0–**151**, खाता नं0–**41**, प्लॉट नं0:–**28**, रकवा:–**0.05** ए0, क्रेता **श्रीमती विजय कन्डुलना**, पति–**स्व0 पितरूस कन्डुलना**, जाति–**हो (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**मसुरीकुदर**, पो0+थाना–**सोनुआ**, जिला प0 सिंहभूम के पास जमीन बिक्री/भू–हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है ।	

मौजा	थाना सं0	थाना	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा एकड़ में
मसुरीकुदर	**151**	**सोनुआ**	**41**	**28**	**0.05 ए0**

आवेदक को ..../– (.............................) रूपए की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का रकवा **0.05 ए0** को कुल कीमत ..../– (.............................) रूपए मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते है।

आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी **सोनुआ** से अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित **दिनांक** 30.7.18 तक मांग करें ।

अभिलेख **दिनांक** 31.7.18 को उपस्थापित करें ।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 13.7.18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

(हस्ताक्षर) 13.7.18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

~~29.10.2018~~ 16.11.18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुआ से जांच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में अप्राप्त। क्रेता एवं विक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं दी गई। इससे प्रतित होता है कि क्रेता एवं बिक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरूची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही है उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है। Sd/- 16.11.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	

Digitally signed by localhost
Date: 2025.06.20 14:10:43 +05:30
Location: 10.93.69.133